राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 185 दिसम्बर 2014 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

इस दिसम्बर में दो वर्ष पहले की तरह एक रेडियो टैक्सी ड्राइवर द्वारा अपने वाहन में एक महिला से बलात्कार करने की दिल दहलाने वाली घटना हुई है। उस युवा महिला ने उबेर द्वारा चलाई जाने वाली एक कैब किराए पर ली थी पर उस पर ड्राइवर ने, जिसका तीन अपराध करने का एक लम्बा पर दमित इतिहास रहा है, हमला किया। यह एक बार केवल यह दर्शाता है कि दिसम्बर 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार के बाद उभरा राष्ट्रीय आक्रोश व्यर्थ गया।

इस बात को स्वीकार किया जाता है कि इस देश में कोई सुरक्षित परिवहन व्यवस्था नहीं है। रेडियो कैब के आने से वर्तमान सेवाओं की तुलना में यह सेवा सुरक्षित समझी जाती थी क्योंकि उनमें जी.पी.एस. लगा होता है और कंपनियों को अपने ड्राइवरों का समुचित पुलिस सत्यापन कराना होता है। उबेर इस बात को बड़े घमंड के साथ कहता है कि उसका अमरीका में अपने ड्राइवरों के लिए उनका पूर्ववृत्त जांच करने की कठोर प्रणाली है। उसे इसका जवाब देना चाहिए कि उसने भारत में अपना परिवहन चलाने के दौरान जांच करने की वैसी प्रणाली क्यों नहीं लागू की।

इसके अलावा, परिवहन विभाग अब कहता है कि उबेर के पास दिल्ली में टैक्सी चलाने का अपेक्षित परमिट नहीं है; तब उसे इतने दिन टैक्सियाँ चलाने की अनुमति कैसे दी गई? आरोपी ने जाली "पुलिस सत्यापन" दस्तावेज कैसे दिए?

कुछ अधिकारियों के अनुसार उबेर अपनी सेवाओं को दिल्ली में एक लम्बे समय से अवैध रूप से चला रहा है। यदि ऐसा है तो कैसे वे अब तक ऐसी सरासर अनियमितताएं करते रहने के

चर्चा में महिलाओं के लिए असुरक्षित वाहन

बावजूद बचते रहे हैं? जाहिर है कि परिवहन प्राधिकारियों को ऐसी अनियमितताओं की जानकारी थी परन्तु उन्होंने कोई कार्यवाही न करने का निर्णय लिया। अब प्राधिकारियों ने न केवल उबेर बल्कि अन्य दोषी सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध भी कार्यवाही करनी आरम्भ कर दी है। वास्तव में वह बस भी जिसमें दिसम्बर 16 की घटना हुई थी, बिना अनुमति के चल रही है, स्पष्ट है कि कोई सबक नहीं सीखा गया।

यह आश्चर्य की बात है कि यह ड्राइवर जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशनों में बलात्कार करने के अथवा बलात्कार करने के प्रयास के कम से कम तीन मामले दर्ज थे, नई दिल्ली में खुला काम कर रहा था और न तो उबेर प्रबंधकों को और न पुलिस प्राधिकारियों को उसके पूर्ववृत्त की जानकारी थी। यदि देश में राष्ट्रीय डेटाबेस सब जगह भेजा जाता तो आरोपी ड्राइवर का पूर्ववृत्त सबको मालूम हो जाता।

स्पष्ट है, पुलिस प्राधिकारियों (जिन्होंने कथित तौर पर सीरियल अपराधी को "चरित्र प्रमाण-पत्र" दिया था) और विनियामक तंत्र की विफलता एक बार फिर यह दर्शाती है कि सरकार, पुलिस और परिवहन प्राधिकारी सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए त्रुटिहीन उपाय आरम्भ करने में विफल रहे हैं। जब तक व्यवस्था में कमियों को जैसे दिल्ली के बड़े भागों में नज़र में आने वाली पुलिसिया प्रबंध का अभाव अथवा बिना लाइसेंस और स्वीकृति से चलने वाले परिवहन वाहनों पर सख्ती न करना जैसी बातों को ठीक नहीं किया जाता है और जवाबदेही के लिए विशिष्ट मार्गे नहीं की जाती हैं, महिलाओं को लम्बे समय तक अपराध झेलते रहना पड़ेगा।

निर्भय दिवस

निर्भय दिवस मनाने के लिए 16 दिसम्बर को राष्ट्रीय महिला आयोग और प्राण सभरवाल फाउंडेशन ने नई दिल्ली में नादिरा बब्बर और एकजुट द्वारा "जी-जैसी आपकी मर्जी" शीर्षक से एक नाटक प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमारमंगलम मुख्य अतिथि थी और आयोग के सभी अन्य सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

नाटक चार एक पात्रीय नाटक थे जिनका मंचन विभिन्न आयु वर्ग की चार महिलाओं द्वारा किया गया था। इसमें उनके विशिष्ट संबंधों को दर्शाया गया है जिसके द्वारा एक महिला समाज में जानी जाती है यथा माता, बेटी, बहन और पत्नी। यह नाटक दिखाता है कि किस तरह महिलाओं को अनन्त काल से शिक्षा, धन की स्वतंत्रता और महिला न्याय से वंचित रखा गया है। नाटक इस बात को दोहराता है कि इन मूक और दबी हुई आवाजों को सुना जाए।

अध्यक्ष श्रोताओं को सम्बोधित करती हुई

भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज (ए.एस.सी.आई.) के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)

राष्ट्रीय महिला आयोग ने ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, पंजाब राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा के राज्यों में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज (ए.एस.सी.आई.) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

सुश्री सुनीता खुराना, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग और लक्ष्मी वी. समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान करती हुई जबकि अध्यक्षा (बाएं) सदस्याएं और अधिकारी देख रहे हैं

अध्ययन का उद्देश्य राज्यों में महिलाओं और लड़कियों के दर्जे की संपूर्ण तस्वीर को प्रस्तुत करना है जिससे महिलाओं और लड़कियों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके और उनको अपने-अपने राज्यों में मजबूत बनाने के लिए उपायों की सिफारिश की जाए। आयोग अध्ययन के लिए अपेक्षित निधि और समर्थन देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, सदस्य और अधिकारियों की उपस्थिति में प्रोफेसर लक्ष्मी वी. ने ए.एस.सी.आई. की तरफ से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जबकि सुनीता एच. खुराना, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग की ओर से हस्ताक्षर किए।

एक ही स्थान पर सहायता केन्द्र

बलात्कार के पीड़ितों के लिए, हाल में दो एक ही स्थान पर सहायता केन्द्रों ने क्रमशः संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में काम करना आरम्भ कर दिया है। ये केन्द्र बलात्कार के पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा, पुलिस, परामर्श और परिवहन की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इन एक ही स्थानों पर केन्द्रों की एक खास बात यह है कि पीड़िता को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता है। पुलिस केन्द्र में जाएगी, पीड़िता बयान दर्ज करेगी और अंत में प्राथमिकी दर्ज करेगी। जांच यहां से आरम्भ होगी। डाक्टरी जांच, इलाज, फोरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा करना और परामर्श इन्हीं केन्द्रों में की जाएगी।

महत्वपूर्ण निर्णय

- भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा की चिंता को ध्यान में रखते हुए रेलवे सुरक्षा बल में एक पृथक महिला स्कंध बनाने की योजना बना रहा है। इनको महिला कम्पार्टमेंट में तैनात किया जाएगा। जबकि कोचों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएंगे, महिला यात्रियों के लिए एक मोबाइल ऐप विपत्ति संदेश भेजेगा जिसे सभी जगह फ्लैश किया जाएगा।

- उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जो न्यायाधीश यौन उत्पीड़न के दोषी पाए जाते हैं, उनसे न्यायिक कार्य ले लिया जा सकता है और उन्हें हटाने की कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है। ऐसे अपराधों के लिए 'कोई उदारता नहीं' (ज़ीरो टालरेंस) अपनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब न्यायाधीश को हटाने के लिए आरोपों में कोई ठोस बात है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संबंधित न्यायाधीश को "पद त्याग करने अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए परामर्श देगा और यदि वह परामर्श की अवहेलना करता है तो उसे आगे कोई न्यायिक कार्य नहीं दिया जाएगा।" इसके साथ-साथ यदि न्यायाधीश "भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को नहीं मान रहा है" तो भारत का मुख्य न्यायाधीश तीन न्यायाधीशों की समिति के निष्कर्षों को, जिसमें संबंधित न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही आरम्भ करने को कहा गया है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सूचित करेगा।

- दिसम्बर 16 के सामूहिक बलात्कार की दूसरी वर्षगांठ के एक दिन पूर्व दिल्ली पुलिस ने एक पहल आरम्भ की है जिसके अंतर्गत समाज के निर्बल वर्ग की लड़कियों को गाड़ी चलाने और स्व-रक्षा करने में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे शारीरिक और वित्तीय रूप से सशक्त हो सकें।

- नगर में कन्या भ्रूण हत्या के मामलों को रोकने के लिए गुड़गांव जिला प्रशासन ने सभी अल्ट्रासाउंड केन्द्रों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाना और आने वाले रोगियों का विस्तृत रिकॉर्ड रखना अनिवार्य बना दिया है।

- केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने बालिकाओं के लिए एक विशेष जमा योजना - सुकन्या समृद्धिनी एकाउंट आरंभ किया है जो बैंकों और डाकघरों में खोला जा सकता और जमा निधि की 50 प्रतिशत राशि बालिका के 18 वर्ष के होने पर उच्च शिक्षा और विवाह हेतु निकाली जा सकता है। यह स्कीम एकाउंट खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे होने पर परिपक्व हो जाएगी और 14 वर्ष के पूरे होने तक राशि को जमा जारी रखा जा सकता है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेषज्ञ समिति

पूर्वोत्तर राज्यों की विशेषज्ञ समिति की बैठक में प्रतिभागी

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य महिला आयोगों के साथ सहयोग से पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। इसकी दूसरी बैठक नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग में हुई। सभी राज्य महिला आयोगों को शोध कार्य करने हेतु विशेषज्ञों और संस्थानों की पहचान करने और इस प्रयोजन के लिए प्रश्नावलि तैयार करने के लिए कहा गया। सभी राज्य आयोगों ने उप समिति और शोध डिजाइन के विकास के बारे में प्रगति की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, सदस्य, अधिकारी और विशेषज्ञ समिति के सदस्य और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे। त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और असम जैसे राज्यों ने उप-समिति और शोध डिजाइन के विकास के बारे में प्रगति की स्थिति प्रस्तुत की। राज्य आयोगों को अपनी रिपोर्टों में पूर्वोत्तर राज्यो की महिलाओं के मुद्दों और चिंताओं को शामिल करने का भी निदेश दिया गया।

अध्यक्षा की एच.आई.वी. पाज़िटिव वाली महिलाओं के साथ बातचीत

अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग (दाएं) ज्ञापन प्राप्त करते हुए

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने नई दिल्ली में पूरे भारत से आए एच.आई.वी. पाज़िटिव वाली महिलाओं और सेक्स वर्कर्स के लगभग 40 सामुदायिक प्रतिनिधियों के समूह को संबोधित किया। अध्यक्षा द्वारा बिना रोक-टोक के और खुलकर बोलने के लिए प्रोत्साहित करने पर महिलाओं ने निवारण, इलाज, देखभाल और समर्थन के क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर आवाज उठाई। परस्पर वार्ता के सत्र के दौरान उन्होंने उपरोक्त मुद्दों पर प्रकाश डाला और उनसे अनुरोध किया कि वे सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के साथ उनकी वार्ता और परस्पर बातचीत कराएं।

समुदाय के सदस्यों ने संक्षेप में चर्चा का ज्ञापन उन्हें प्रस्तुत किया। अध्यक्षा ने कहा अनेक वर्षों तक एच.आई.वी./एड्स से संबंधित क्षेत्रों में काम करने के बाद उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में समुदाय के शामिल होने और ऐसे हस्तक्षेप के परिणामों पर निगरानी रखने के महत्व को महसूस किया है। उन्होंने आगे कहा कि "मैं सरकार और समुदाय के ग्रुपों के बीच वार्ता का विस्तार करने का प्रयास करूंगी।"

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नवम्बर 2014 में लिखित में और ऑनलाईन प्राप्त शिकायतें

महीना नवम्बर, 2014	अथ शेष (पिछले महीने के लंबित)	प्राप्त शिकायतें	उन शिकायतों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई		कार्यवाही के लिए लंबित शिकायतें
			पिछली	वर्तमान	
लिखित में	847	3146	847	3146	शून्य
ऑनलाईन	157	176	157	176	शून्य
बन्द मामले	लिखित में - 335	ऑनलाईन - 10			

सदस्यों के दौरे

❖ सुश्री हेमलता खेरिया, सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग को नई दिल्ली में ऑल इंडिया आर्टिस्ट कैंप द्वारा जम्मू और कश्मीर के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत धन जुटाने हेतु एक प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ● सदस्या खेरिया को ललित कला अकादमी, नई दिल्ली में 'निर्भया' विषय पर एक चित्रकला प्रदर्शनी' में सम्माननीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ● सदस्या ने नेबू नौरंगिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के सामुदायिक केन्द्र का निरीक्षण किया।

चित्रकला प्रदर्शनी में सुश्री हेमलता खेरिया

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई जांच

● सुश्री हेमलता खेरिया, सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक जांच समिति की अध्यक्षता की जिसमें "6 डॉक्टरों द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 42 औरतों का नसबंदी ऑपरेशन किया गया" शीर्षक से प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों की जांच करने के लिए श्री विद्या भूषण रावत, सामाजिक कार्यकर्ता और श्री कुंवरजीत सिंह, एडवोकेट सदस्य थे। ● सदस्या ने एक जांच समिति की भी अध्यक्षता की जिसमें राजासमंद, राजस्थान में चारभुज में "महिला को निर्वस्त्र कर गधे पर घुमाने के आरोप में 25 को जेल" शीर्षक से प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट की जांच करने के लिए श्री कुंवरजीत सिंह, एडवोकेट और श्रीमती सविता गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य थे।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला सुरक्षा पर रेडियो जागरूकता अभियान आरम्भ किया जाना

16 दिसम्बर को 'निर्भय दिवस' मनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूर्वोत्तर और देश के अन्य भागों में रेडियो के द्वारा जागरूकता अभियान आरम्भ किया। अभियान में लोगों को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, यौन उत्पीड़न, महिला सशक्तिकरण, दहेज और मानव तस्करी के बारे में शिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पुरुषों और लड़कों को महिलाओं का आदर करने के बारे में सीख देना है। एक महीने का लम्बा अभियान प्राइवेट एफ.एम. चैनलों और पूर्वोत्तर राज्यों के ऑल इंडिया चैनलों में प्रसारित किया जाएगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा हस्तक्षेप किया जाना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को संज्ञान में लिया है जिसमें उबेर कैब सर्विस के एक कैब ड्राइवर द्वारा एक महिला का बलात्कार किया गया। इसने उबेर कैब को स्वतः एक नोटिस दिया है और दिल्ली पुलिस को की गई कार्यवाही रिपोर्ट देने के लिए समयबद्ध स्वतः नोटिस दिया है।

क्या आप जानते हैं?

अनिवार्य सवेतन मातृत्व छुट्टी अथवा सवेतन कार्य अवधि की छूट की सीमा जिसकी महिला कर्मचारी अपने नवजात बच्चे की देखभाल हेतु लेने की पात्र है, की विश्व की औसत 109 दिन है। भारत में यह 84 दिन है और यह केवल संगठित क्षेत्र में महिलाओं को मिलती है। असंगठित क्षेत्र में लाखों कामकाजी महिलाओं को कोई सवेतन मातृत्व छुट्टी नहीं मिलती है। 15 देशों में अनिवार्य सवेतन मातृत्व छुट्टी 30 से 60 दिनों की है; केवल 13 देश 150 दिन अथवा लगभग 5 महीने की छुट्टी देते हैं; 69 देशों में यह 60 से 100 दिन है और 37 देशों में यह 100 से 150 दिन है; जो 3 महीने से अधिक परन्तु 5 महीने से कम है।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।